221/854/

...धिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

1830
2/12/2021

1829
2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई०एल०आर० पापड़ा कलां

श्रीमान जी आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर राशन कार्ड, आधार कार्ड व माता का आधार कार्ड के आधार पर प्रार्थी सविता पुत्री हनुमान की बजाय सरवती देवी पुत्री हनुमान दुरुस्त किया जाना उचित है

02/12/2021
प. म. पापड़ा कलां

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढ़ागौड़जी

क्रमांक : राजस्व/2020/ दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है/नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है

तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढ़ागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक - 2/12/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढ़ागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढ़ागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	पापड़ा कलां	2075-78	27	सविता पुत्री हनुमान जाति माली	सरवती देवी पुत्री हनुमान जाति माली

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक - राजस्व/2020/1787-88

प्रतिलिपि -

दिनांक - 2/12/21

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढ़ागौड़जी को ....
2. प्रार्थी/प्रार्थीया .... को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.09 12:22:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner